

संख्या एन-28011/2/2021-बीसी.III

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालयशास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 29 मई, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अंतर-विभागीय समिति (आई.डी.सी.) के पुनर्गठन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26.03.2025 के समसंख्यक पूर्व कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में, अधोहस्ताक्षरी को अंतर-विभागीय समिति (आई.डी.सी.) का निम्नानुसार पुनर्गठन [केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 20(1) के अंतर्गत] करने के लिए सचिव (सूचना और प्रसारण) का अनुमोदन संसूचित करने का निर्देश हुआ है:-

i.	श्री प्रभात, अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अध्यक्ष
ii.	श्री भास्कर, निदेशक, महिला और बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
iii.	श्री बृजेश कुमार शर्मा, उप सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
iv.	श्री राजेश परिहार, निदेशक (एक्स.पी.डी.), विदेश मंत्रालय	सदस्य
v.	श्री सूरज आर., निदेशक (पी.आर.), रक्षा मंत्रालय	सदस्य
vi.	श्री मृणाल कुमार दास, निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	सदस्य
vii.	सुश्री लीना जैसानी, सहायक महासचिव/ श्री पवन कॉल, एम. एंड ई., फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिड्की)	सदस्य
viii.	श्री समीर कुमार, निदेशक, सी.आई.आई. मीडिया और मनोरंजन डेस्क, कॉन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.)	सदस्य
ix.	श्री राजीव देशपांडे, सलाहकार संपादक (ओपन मीडिया ग्रुप), प्रेस कौंसिल ऑफ़ इंडिया (पी.सी.आई.)	सदस्य
x.	श्री वेद प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (बी.सी.आई.)	सदस्य
xi.	संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य-संयोजक

2. आई.डी.सी. प्राप्त शिकायतों/परिवादों की जांच करेगी और प्रसारणकर्ता द्वारा अनुपालन के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 की उप-धारा (3) के तहत उचित आदेश और निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करेगी।

अनुभव
29.05.25

(अनुभव सिंह)

ओ.एस.डी. (बी.सी.)

टेलीफोन: 23386394

सेवा में,

1. श्री प्रभात, अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

2. श्री भास्कर, निदेशक, महिला और बाल विकास मंत्रालय।
3. श्री वृजेश कुमार शर्मा, उप सचिव (आई.एस.-आई. एवं बी.पी.आर. एंड डी.), आई.एस.-आई. प्रभाग, गृह मंत्रालय।
4. श्री राजेश परिहार, निदेशक (एक्स.पी.डी.), विदेश मंत्रालय।
5. श्री सूरज आर., निदेशक (पी.आर.), डी.पी.आर., रक्षा मंत्रालय।
6. श्री मृणाल कुमार दास, निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
7. सुश्री लीना जैसानी, सहायक महासचिव/ श्री पवन कॉल, एम. एंड ई., फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)।
8. श्री समीर कुमार, निदेशक, सी.आई.आई. मीडिया और मनोरंजन डेस्क, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.)।
9. श्री राजीव देशपांडे, सलाहकार संपादक (ओपन मीडिया ग्रुप), प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.)।
10. श्री वेद प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.)।

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
2. सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय।
3. सचिव, विदेश मंत्रालय।
4. सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
5. सचिव, गृह मंत्रालय।
6. सचिव, रक्षा मंत्रालय।
7. श्री रविन्द्र कुमार जेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
8. संयुक्त सचिव (आई. एंड पी.) के प्रधान निजी सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय।